

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खंड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 176]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 31, 1973/श्रावण 9, 1895

No. 176]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 31, 1973/SRAVANA 9, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging given to this Part in order that it may be filed
in separate collection

INDUSTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Mines)

RESOLUTION

New Delhi, the 31st July 1973

No. CI-13(11)/70.—In continuation of the Resolution of even number dated 30th March, 1973, the Government of India have been pleased to grant time till 31st August, 1973 for the submission of the final report of the Fuel Policy Committee.

2. The Government of India have also appointed Shri R. G. Mahendru, Managing Director, Central Division (National Coal Development Corporation), Coal Mines Authority Limited, as a member of the Fuel Policy Committee.

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India Extraordinary for general information.

S. B. LAL, Jt. Secy.

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1973

स० को०-1-13 (11)/70.—समसंख्यांक संकल्प तारीख 30-3-73 के अनुक्रम में, भारत सरकार ईंधन नीति समिति की अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 31 अगस्त, 1973 तक की कालावधि का समय सहर्ष अनुवृत्त करती है।

2. भारत सरकार ने श्री आर० जी० महेन्द्र प्रबन्ध निदेशक, केन्द्रीय प्रभाग (राष्ट्रीय कोयला विकास निगम), कोयला खान प्राधिकारी, को भी ईंधन नीति समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को प्रति समस्त सम्पूणों को ससूचित की जाय।

2 वह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र प्रकाशरण, में प्रकाशित किया जाए।

शरण बिहारी लाल,
संयुक्त सचिव।